छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

पत्ताकोठी, वार्ड नं.–9, दाउद कॉलोनी, जिला – गरियाबंद (छ.ग.)

दूरभाष नं./फैक्स नं. – 07706–241210, Email dmg02gariyaband@gmail.com

क्रं./साविप्र/अनु. स्कंध निरा./2016–17/ 495 गरियाबंद, दिनांक : 01.11.2016

प्रति,

जिला सूचना अधिकारी
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
जिला – गरियाबंद।

विषय : कोटेशन सूचना गरियाबंद जिले के ई–पोर्टल में अपलोड करने बाबत।

--000—

विषयान्तर्गत जिले के विभिन्न प्रदाय केन्द्रों में उपलब्ध अखाद्य स्कंध/अनुपयोगी बारदानों के निराकरण हेतु, इस पत्र के साथ कोटेशन सूचना क्रमांक/साविप्र/अनु.स्कंध निरा./2016–17/494 गरियाबंद, दिनांक 01.11.2016 को गरियाबंद जिले के ई–पोर्टल में अपलोड कर कोटेशन आमंत्रण सूचना जारी करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार (02 प्रति)

जिला प्रबंधक
गरियाबंद

पृ.क्रं./साविप्र/अनु. स्कंध निरा./2016–17/ गरियाबंद, दिनांक : 01.11.2016

प्रतिलिपी :

01. कलेक्टर महोदया, जिला – गरियाबंद की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. महाप्रबंधक (साविप्र/उपार्जन) छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्परिशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर की प्रेषित कर अनुरोध है कि संलग्न कोटेशन सूचना को स्टेट ई–पोर्टल में अपलोड करवाने का कष्ट करेंगे।
03. खाद्य अधिकारी, जिला – गरियाबंद की ओर सादर सूचनार्थ प्रेपित।
04. केन्द्र प्रभारी, गरियाबंद/राजिम/मैनपुर/देवभोग (समस्त) की प्रेषित कर लेख है कि संलग्न कोटेशन आमंत्रण सूचना का स्थानीय स्तर पर पर्याप्त प्रचार प्रसार करेंगे।

जिला प्रबंधक
गरियाबंद

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
पत्ताकोठी, वार्ड नं.–9, दाउद कॉलोनी, जिला – गरियाबंद (छ.ग.)
दूरभाष नं. / फैक्स नं. – 07706–241210, Email dmg02gariyaband@gmail.com

क्रं. / सा.वि.प्र. / अनु. स्कंध निरा. / 2016–17 / 494 गरियाबंद, दिनांक : 01.11.2016

–:: अनुपयोगी स्कंध / अखाद्य सामग्री विक्रय हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना ::–

इस जिलें के प्रदाय केन्द्रों में उपलब्ध अनुपयोगी सामग्री / अखाद्य सामग्री के विक्रय हेतु इच्छुक क्रेताओं से दिनांक 15.11.2016 दोपहर 01:00 बजे तक निगम जिला कार्यालय, पत्ताकोठी, वार्ड क्रमांक – 09 दाउद कॉलोनी, गरियाबंद जिला गरियाबंद में कोटेशन आमंत्रित की जाती है। कोटेशन इसी दिनांक को दोपहर 03:00 बजे निगम जिला कार्यालय गरियाबंद में ही खोले जाऐंगे। केन्द्रवार उपलब्ध अनुपयोगी सामग्री / अखाद्य योग्य सामग्री का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	प्रदाय केन्द्र का नाम जहां स्कंध उपलब्ध है।	सामग्री का विवरण				
		अमृत नमक		गेहूँ स्वीपेज		अनुपयोगी बारदाना
		बोरा	क्विंटल	बोरा	क्विंटल	नग
01	02	03	04	05	06	07
01	गरियाबंद	268	135.71	—	—	1296
02	राजिम	382	166.61	—	—	—
03	मैनपुर	—	—	15	07.45	—
कुल योग		650	302.32	15	07.45	1296

–:: अनुपयोगी स्कंध / अखाद्य सामग्री विक्रय के लिए कोटेशन की शर्तें ::–

01. उपलब्ध अनुपयोगी सामग्री / अखाद्य योग्य सामग्री का विक्रय **"जहां है जैसा है"** के आधार पर किया जाना है। उपलब्ध स्कंध की मात्रा उपरोक्त दर्शित मात्रा से कम / अधिक हो सकता है।
02. कोटेशन देने के इच्छुक क्रेता जिला प्रबंधक से संपर्क कर प्रदाय केन्द्रों पर उपलब्ध स्कंध / सामग्री का निरीक्षण कर संतुष्ट होने पर कोटेशन प्रदान करेंगे।
03. इच्छुक कोटेशन दाता लिफाफे पर पासपोर्ट साईज स्वप्रमाणित फोटो के साथ अखाद्य सामग्री हेतु दर प्रति क्विंटल एवं अनुपयोगी बारदाना हेतु दर प्रति नग के आधार पर कोटेशन दर प्रस्तुत करेंगे। कोटेशन दाता गीली शक्कर एवं नमक की दरों के साथ स्वयं का पैन नंबर, बैंक खाता का विवरण एवं पैन कार्ड की छायाप्रति भी अनिवार्यतः संलग्न करेंगे।
04. कोटेशन के साथ **अर्नेस्ट मनी स्वीपेज (गीली) शक्कर हेतु 200.00 प्रति क्विंटल, स्वीपेज गेहूँ / चना / पीली मटर दाल हेतु 50.00 प्रति क्विंटल, अमृत नमक हेतु 25.00 रू. प्रति क्विंटल एवं अनुपयोगी बारदाना हेतु 01.00 रू प्रति नग की दर से अमानत राशि (अमानत राशि डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक के माध्यम से किसी भी राष्ट्रीकृत / शेड्यूल बैंक का "छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन जिला कार्यालय गरियाबंद" के नाम से देय होगा।)** संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अमानत राशि के बिना कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

05. कोटेशन दर स्वीकृत होने पर H/1 (सर्वाच्च दर वाले कोटेशन दाता) को छोड़कर अन्य कोटेशन दाताओं की अमानत राशि जिला कार्यालय द्वारा वापस कर दी जावेगी।
06. दरें स्वीकृत होने पर अखाद्य सामग्री/अनुपयोगी बारदाना के मूल्य की समस्त राशि आर.टी.जी. एस./बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से जिला कार्यालय में जमा कर अधिकतम 15 दिवस के भीतर अखाद्य सामग्री/अनुपयोगी बारदाना का उठाव करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में उठाव नहीं करने पर नियमानुसार निर्धारित भंडारण शुल्क जमा कराकर पुनः 15 दिवस की समय–सीमा निगम मुख्यालय– रायपुर से अनुमति पश्चात बढ़ाई जाएगी। इसके बाद भी उठाव नहीं कराने पर कोटेशन दाता को सामग्री प्रदान नहीं करते हुए उनके द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि को राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।
07. अखाद्य सामग्री/अनुपयोगी बारदाना का भुगतान एक साथ एक तरफ से दिया जावेगा। अखाद्य सामग्री/अनुपयोगी बारदाना छांट कर प्रदाय नहीं किया जावेगा। अखाद्य सामग्री/अनुपयोगी बारदाना उठाव के लिए अतिरिक्त बोरा या अन्य सामग्री की व्यवस्था कोटेशन दाता को स्वयं के व्यय पर करना होगा।
08. कोटेशन स्वीकृत होने पर उपलब्ध अखाद्य सामग्री/अनुपयोगी बारदाना के मूल्य की संपूर्ण राशि जिला कार्यालय गरियाबंद में जमा कर अनुबंध जिला कार्यालय में किया जाएगा।
09. निगम से स्कंध उठाव के पूर्व कोटेशन दाता द्वारा क्रय किए जा रहे अखाद्य सामग्री/अनुपयोगी बारदाना मानव के खाने के लिए उपयोग/विक्रय नहीं किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में शपथ–पत्र देना होगा।
10. प्रदाय केन्द्र में उपलब्ध अखाद्य सामग्री/अनुपयोगी बारदाना का उठाव करने में होने वाले समस्त व्ययों को क्रेता द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।
11. विक्रय हेतु उपलब्ध सामग्री के मूल्य के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य समस्त करों का वहन क्रेता द्वारा स्वयं किया जाएगा।
12. अपवाद स्वरूप अखाद्य सामग्री/अनुपयोगी बारदाना के उठाव करने में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर उसके निराकरण के लिए प्रथमतः निगम के प्रबंध संचालक महोदय व इनके द्वारा मनोनित अधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा इनके द्वारा दिया गया निर्णय क्रेता पर बंधनकारी होगा।
13. किसी भी प्रकार के विवादों के लिए न्यायालय क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा।
14. किसी भी कोटेशन दर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के अंतिम निर्णय का अधिकार प्रबंध संचालक महोदय के पास सुरक्षित रहेगा।

जिला प्रबंधक 11·16
गरियाबंद